पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ – 226002

:e- mail : tshq@up.nic.in

पत्र संख्या : टीएससी–142/2012 (VIII) दिनांक : फरवरी 20 ,2020

सेवा में

पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय/रेलवे/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग/एसआईटी/सीआईडी/विशेष जांच/यातयात निदेशालय/पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय/ पुलिस रेडियो मुख्यालय/पीएसी मुख्यालय/महिला सम्मान प्रकोष्ठ/आईटैक्स (112 मुख्यालय)/फायर सर्विस/पुलिस मानवाधिकार/पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ/सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ।

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक
समस्त जोन/परिक्षेत्र/पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
समस्त जनपद।

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के संलग्न शासनादेश सं0 219/43–2–2019 दिनांक 29.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रत्येक विभाग को **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों** से सम्बन्धित सूचनाओं का मैनुअल बनवाकर अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गई है।

आप अवगत ही हैं कि उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उक्त सूचनाओं को प्रत्येक इकाई के **आरटीआई** मेन्यू के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त सूचनाओं को अपलोड किये जाने हेतु आपकी ईकाई स्तर पर ही **प्रशिक्षित कार्मिक नोडल वेबसाइट ऑपरेटर** के रूप में नियुक्त हैं। आपकी इकाई से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्ष में वेबसाइट अपडेशन रिपोर्ट भी आपके अवलोकनार्थ अधिकारिक ईमेल से भेजी जाती है । आरटीआई मैनुअल सम्बन्धी इकाई की यथास्थिति संकलित रूप से उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **https://uppolice.gov.in/** के मुख्य पेज पर **Right to Information** मेन्यू पर देखी जा सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार की उक्त धारा की अपेक्षानुसार 16 श्रेणियों की सूचनाओं को निरंतर अपडेट कर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

अतः निर्दशानुसार अनुरोध है कि, **सूचना के अधिकार एवं उक्त शासनादेश के आलोक** में उ0प्र0 शासन द्वारा सूचनाओं को अद्यावधिक रूप में प्रदर्शित करने की अपेक्षानुसार **मैनुअल** तैयार करवाकर हेतु अधीनस्थ वेबसाइट ऑपेरटर के माध्यम से अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये जाने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोपरि।

19/2/2020

(शहाब रशीद खां)
पुलिस अधीक्षक/स0निदेशक
पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ

प्रतिलिपिः

1. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह पुलिस अनु–15 को सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ को सूचनार्थ एवं उनके स्तर से भी निर्देश जारी किये जाने के उद्देश्य से प्रेषित ।

संख्या 1251/6-पु0-15/19

संख्या– 219/43-2-2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांकः 29 नवम्बर, 2019

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा–4(1)(बी) (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उल्लिखित 17 श्रेणियों की सूचनायें प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता है। स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है।

2– प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 06 जून, 2008 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें अपलोड की जाने वाली सूचनाओं का विवरण एवं अन्य जानकारियां दी गई थीं। तत्पश्चात् कई अनुस्मारक प्रेषित किये गये तथा मुख्य सचिव के स्तर पर कई बैठकें भी आयोजित कराई गयीं। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 25 मार्च, 2014 तथा शासकीय पत्र संख्याः–580/43–2–2017, दिनांक 21 अगस्त, 2017 द्वारा भी निर्देश दिये गये। वेबसाइटों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं को अपलोड किये जाने में विशेष रूचि नहीं दिखाई जा रही है जिसके कारण विभागीय वेबसाइट अद्यतन (अपडेट) नहीं है तथा अपलोड की गई सूचनायें भी अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों की विभागीय वेबसाइट के होम पेज पर 'सूचना का अधिकार' शीर्षक भी उल्लिखित नहीं है और यदि 'सूचना का अधिकार' शीर्षक उल्लिखित भी है तो उसके अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण ठीक से नहीं दर्शाया गया है। विभागीय वेबसाइटों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत विभागों द्वारा अपलोड की गई सूचनाओं की विभागीय स्थिति पत्र के साथ संलग्न है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराने तथा इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

(1127) JS(AS)/8-15

(भगवान स्वरूप)
सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

JS(SK)/8/15

3-12-19

(अविनाश सिंह)
विशेष सचिव, गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिये समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

(i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;
(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;
(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;
(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं;
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;
(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;
(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;
(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;
(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;
(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;
(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;